CL ✓ 39

(5)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

क्रमांक- प.9(8)कार्मिक/क-5/90 जयपुर, दिनांक 21-3-94
समस्त जिला कलेक्टर

विषय- राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण- जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु अनुदेश।

महोदय,

उपरोक्त विषय इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.93 के साथ संलग्न पिछड़े वर्गों के लोगों को दिये जाने वाले पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी जाति प्रमाण-पत्र के प्रारूप का केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों/प्रारूप के परिप्रेक्ष में परिक्षण किया जाकर, राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रारूप जारी करने एंव भविष्य में संशोधित प्रारूप परिशिष्ठ "क" के अनुरूप ही जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

कार्मिक विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29.9.93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कालम 3 में उन व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इस बात पर विचार किया गया है कि उन सक्षम प्राधिकारियों को जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.93 के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का है," यह प्रमाणित करने के लिये अधिसूचित किया गया है, को यह प्रमाणित करने के लिये भी प्राधिकृत किया जाए कि उम्मीदवार का सम्बन्ध " सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लायर)" से नहीं है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने अधीन प्राधिकारियों को अनुदेश दें कि उम्मीदवारों को " अन्य पिछड़े वर्ग के सम्बन्धित होने" तथा साथ ही साथ " सम्पन्न वर्ग में न आने " के बारे में अपेक्षित प्रमाण-पत्र का सत्यापन करें तथा प्रमाण-पत्र जारी करें।

प्राधिकारी उम्मीदवारों के दावों की जांच कर पाये इस हेतु उम्मीदवार की ओर से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी के सम्मुख एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है। इस आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ठ "ख" पर संलग्न है।

इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि पिछड़ी जातियों की सूची से सम्बन्धित समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.8.93 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.9.93 का व्यापक प्रचार किया जाये, जिसमें वे मानदण्ड विनिर्दिष्ट किये गये हैं, जिसके अनुसार उन व्यक्तियों का निर्धारण होगा जो सम्पन्न वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिन पर आरक्षण लागू नहीं होगा। इससे उम्मीदवारों को आरक्षण के लिये अपनी पात्रता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह भी उपयुक्त होगा कि इस सम्बन्ध में प्रमाणन अधिकारियों को उचित जानकारी दी जाए और साथ ही उन्हें उपर्युक्त समाज कल्याण विभाग एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचनाओं की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराई जायें ताकि शीघ्र तथा सही प्रमाणीकरण सुनिश्चित हो सके।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा अधीनस्थ प्राधिकारियों को जारी निर्देशों की एक प्रति भी इस विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित की जाए।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
शासन सचिव

---2/-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2- विशिष्ठ सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3- समस्त प्रमुख सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रबन्ध संचालक, समस्त स्वायत्त शासी संस्था/बोर्ड/निगम आदि को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीन विभिन्न नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को भी इससे अवगत कराने का कष्ट क
4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।

उप शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4- निबन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5- निबन्धक, राज० सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

उप शासन सचिव।

Form

परिशिष्ट "ग"

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नौकरियों के आरक्षण के लिये पात्रता हेतु प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन का प्रारूप ।

(तथापि, यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया जावेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मदें स्थानीय स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार प्रारूप में सम्मिलित की जा सकेंगी)

प्रेषिती

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाए । अतः मैं आवश्यक विशिष्टियाँ नीचे दे रहा हूँ :-

1- आवेदक का पूरा नाम :
(बड़े अक्षरों में)

2- जन्म तिथि:

3- निवास का पूर्ण पता:
(क) वर्तमान
(ख) स्थाई

4- धर्म :

5- जाति :

6- उपजाति :

7- उप जीविका -वर्ग

8- अ.पि.व.की राज्य सूची में जाति का क्रम संख्यांक :

9- पिता का नाम

10- माता का नाम

11- पति का नाम

12- माता-पिता/पति की प्रास्थिति

	पिता	माता	पति
(क) संवैधानिक पद			
(ख) : पद नाम			
(ग) सरकारी सेवायें			

---2/-

	पिता	माता	पति
§i§ सेवा §केन्द्रीय/राज्य§			
§ii§ पद नाम			
§iii§ वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो ।			
§iv§ पद पर नियुक्ति की तारीख			
§v§ वर्ग I पद पर पदोन्नति के समय आयु § यदि लागू हो §			

II अन्तरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन ।

§i§ संगठन का नाम

§ii§ पद नाम

§iii§ सेवा की कालावधि

§ दिनांक -------- से --------- तक §

III मृत्यु/स्थायी अक्षमता§ यदि लागू नहीं हो तो छोड़ दीजिये§।

§i§ मृत्यु / अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जबसे वह सेवा के अयोग्य हो गया हो ।

§ii§ स्थायी अक्षमता का ब्यौरा

§ग§ पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

§i§ संगठन का नाम

§ii§ पद नाम

§iii§ पद पर नियुक्ति की तारीख

§घ§ पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुये शस्त्र बल

§ इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।

§i§ पद नाम

§ii§ वेतनमान

§ङ§ व्यवसायी वर्ग§उनको छोड़कर जो मद संख्या § ख§ और §ग§ के अन्तर्गत आते हैं § और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति ।

§i§ उप -जीविका/वृत्ति

§च§ सम्पत्ति के स्वामी ।

§क§ I कृषि जोतें : §माता , पिता और अवयस्क बच्चों के स्वामीत्व में §

§i§ अवस्थिति

---3/-

(11) जोत का आकार

(111) (क) सिंचित

(सिंचित भूमि का प्रकार)

(1)

(11)

(111)

(ख) असिंचित

(iv) राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधियों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत ।

(v) यदि जोत सिंचित /असिंचित दोनों प्रकार की है तो राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत ।

(vi) (iv) (v) के अनुसार कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

(ब) (1) बागान :

(1) फसल/फल

(11) अवस्थिति

(111) बागान का क्षेत्र

(ग) (111) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और /या भवन

(1) सम्पत्ति की अवस्थिति ।

(11) सम्पत्ति का ब्यौरा ।

(111) उपयोग जिसके लिये वह रखी गयी है ।

(घ) आय/धन

(1) समस्त स्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुये)

(11) क्या करदाता है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे)

(111) क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हाँ/नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिये)

(ङ) अन्य कोई अभ्युक्तियाँ ।

(च) मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य, पिछड़े वर्गों की क्रीमी लियर का नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिये विचार किये जाने के लिये पात्र हूँ । चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थिता/नियुक्ति रद्द करणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों के उपबन्धित की जायें ।

भवदीय,

स्थान-

दिनांक

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

तहसीलदार से वरिष्ठ जिला राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाये ।

35

Form

परिशिष्ठ- "क"

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप :-

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी- - - - - - - सुपुत्र/पुत्री/पत्नी/- - - - - - - - - - - - - - ग्राम/नगर- - - - - - - - - - - - - - - - - - - जिला/खण्ड- - - - - - - - - - - - राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प•11(25)आर•एण्ड•पी•/सक्वि/4663। दिनांक 27•8•93 में अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिये पिछड़े वर्गों अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से,- - - - - - - - - - - - वर्ग/जाति के सदस्य हैं। श्री - - - - - - - - - - - - - - और/या उनका परिवार - राज्य के - - - - - - - - - - - - - - - - - जिला/खण्ड- - - - - - - - - - - - - में स्थायी तौर से निवास कर करता है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना संख्या प•9(8) कार्मिक/क-5/90 दिनांक 28•9•93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लेखित अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है। अर्थात उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लियर) का नहीं है।

हस्ताक्षर,
जाति प्रमाण-पत्र जारी करने
वाले अधिकारी

दिनांक

मोहर